"क्लिक" योजना के संबंध में दिशा–निर्देश
(Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge)

1.0 प्रस्तावना :–

1.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु **"क्लिक"** [Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge] योजना लागू की जा रही है।

2.0 उद्देश्य :–

2.1 योजना का मूल उद्देश्य 'डिजिटल इंडिया' संकल्पना को साकार करते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भावी डिजिटल युग की मांग के अनुरुप कौशल से संपन्न करने व व्यवसाय की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के योग्य बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर अकादमिक विषयवस्तु के ज्ञानार्जन के साथ साथ समानान्तर रुप से कम्प्यूटर ज्ञान कौशल का विकास करना व व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्य किया जायेगा।

3.0 आधारभूत संसाधन (Infra Structure) :–

3.1 ऐसे राजकीय माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जिनमें आई.सी.टी. योजनान्तर्गत या किसी अन्य राजकीय योजना, भामाशाह, सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास योजना या विद्यालय विकास कोष के माध्यम से उपलब्ध कम्प्यूटर संसाधनों युक्त कम्प्यूटर लैब स्थापित है उसे यथावत संचालित रखते हुए इस योजना हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

3.2 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर लैब के समस्त हार्डवेयर संसाधनों व सॉफ्टवेयर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का एकाधिकार

8/2/17

रहेगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार आर. के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा लैब का उपयोग इस योजना के प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

3.3 कम्प्यूटर लैब के रख–रखाव, मरम्मत, सुरक्षा इत्यादि का समग्र उतरदायित्व पूर्वतः विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का होगा। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के निर्देशन में आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा लैब का उपयोग पूर्ण सावधानी से किया जाएगा व उपकरणों की संरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

3.4 प्रथम चरण में ऐसे राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल का चयन किया जाएगा जिनमें कक्षा 6 से 10 तक न्यूनतम नामांकन 200 है एवं आवश्यक संसाधनों युक्त कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है। प्रशिक्षण योजना में पंजीकरण संख्या न्यूनतम 200 से कम रहने की स्थिति में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भी पंजीकृत किया जा सकेगा।

3.5 प्रस्तावित योजना के लिए कम्प्यूटर लैब व अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास कोष, भामाशाह सहयोग या अन्य स्त्रोत का उपयोग विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जा सकता है।

4.0 <u>संचालन (Execution)</u> :–

4.1 प्रस्तावित योजना पूर्णतः स्ववित्तपोषण आधार पर संचालित होगी।

4.2 योजना से जुड़ने वाले विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी।**(परिशिष्ट–क)**

4.3 पारित व अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर ही विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र के साथ MoU पर कार्यवाही शुरु करेगी व प्रशिक्षण की समस्त कार्यवाही समझ पत्र में उल्लेखित निर्देशों के अधीन रहेगी। **(परिशिष्ट–ख)**

4.4 आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र के साथ लागु किए जाने वाले MoU पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध

8/2/17

समिति के अध्यक्ष के रुप में संस्था प्रधान हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होगा।

4.5 अभिभावक एवं विद्यार्थी की स्वयं की इच्छा से लिखित सहमति के अनुसार ही विद्यार्थी का पंजीकरण इस योजना अंतर्गत किया जायेगा।

4.6 कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम आर.के.सी.एल. के सहयोग से निर्धारित किया गया है। आर.के.सी. एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र द्वारा नियोजित अनुदेशक, योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों को अध्यापन करवायेगा व प्रशिक्षण प्रदान करेगा। (**परिशिष्ट–ग**)

4.7 विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, प्रबोधन व मॉनिटरिंग की जाएगी।

4.8 प्रस्तावित योजना में विद्यार्थियों से शुल्क का संग्रहण मासिक आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा। आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र को शुल्क का भुगतान विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा सीधा ही किया जायेगा व इस संदर्भ में आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों से किसी प्रकार से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं किया जायेगा। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार या नाम से कोई वित्तीय भार या शुल्क विद्यालय विकास प्रबंधन समिति द्वारा वहन नही किया जायेगा। (**परिशिष्ट–घ**)

4.9 इस योजना हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नानुसार संख्यात्मक अनुपात में अनुदेशक का नियोजन आर.के.सी.एल. के अधिकृत ज्ञान केन्द्र द्वारा किया जायेगा :–

- 200 से 249 विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य अनुदेशक
- 250 से 399 विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य व एक सहायक अनुदेशक
- 400 से अधिक विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य व दो सहायक अनुदेशक
-

4.10 कम्प्यूटर लैब का उपयोग सावधानी से किया जायेगा व किसी उपकरण पर स्वामित्व नहीं जताया जायेगा।

8/2/17

4.11 निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियां के ज्ञान का मूल्यांकन करने व मान्य प्रमाण पत्र प्रदान करने का दायित्व आई. टी. ज्ञान केन्द्रों का होगा।

4.12 छात्रों का पंजीकरण, प्रशिक्षण विधि, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन तथा प्रमाण पत्र आदि का कार्य ज्ञान केन्द्र राज्य स्तरीय कमेटी के सुझाव के अनुसार करेंगे।

4.13 आई.टी. ज्ञान केन्द्रों द्वारा समय समय पर व शिक्षा विभाग द्वारा मांग किए जाने पर योजना संबंध में प्रगति रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाए जायेंगे।

4.14 इस योजना हेतु कार्यरत अनुदेशक व अन्य समस्त कार्मिक विद्यालय में उपस्थिति के दौरान विद्यालय प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में अनुशासित ढ़ंग से 'क्लिक' योजना से संबंधित कार्य का ही निष्पादन करेंगे। एस.डी.एम.सी. रिपोर्ट के आधार पर ही अनुदेशक का कार्य सम्पादन माना जायेगा व विपरीत कार्य व्यवहार रिपोर्ट पर तुरंत कार्यमुक्ति की जायेगी।

4.15 आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा अनुदेशक का नियोजन योग्यता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अनुदेशक की योग्यता निम्न में से कोई एक होनी चाहिए :–

MCA, MSC-IT/CS, PGDCA, BCA, B-TECH समकक्ष या अधिक। (विशेष परिस्थितियों में स्थान विशेष हेतु योग्यता शिथिलन के संबंध में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति तथा आई.टी. ज्ञान केन्द्र परस्पर सहमति से योग्यता में शिथिलन हेतु प्रस्ताव जिला निष्पादक समिति को भेजेगे व अनुमोदन पश्चात् शिथिलन योग्यता सहित अनुदेशक नियोजित किया जा सकेगा।)

4.16 प्रदेश के सभी विद्यालयों के छात्रों का पंजीकरण, प्रशिक्षण विधि, अध्ययन सामग्री तथा मूल्यांकन के गुणवत्ता में समरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा तथा इस कमेटी के सुझाव तथा निर्णय सभी पक्षों को मान्य होंगे।

8/2/17

इस राज्य स्तरीय कमेटी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षण परिषद के दो सदस्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एक सदस्य आर.के.सी.एल. के दो सदस्य, दो आई.टी. ज्ञान केन्द्र तथा आवश्यकता होने पर अन्य दो आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा।

4-17 राज्य स्तरीय कमेटी के गठन की प्रक्रिया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की जायेगी।

5.0 सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र (आई.टी.जी. के) के चयन का आधार (Selection Criteria) :–

5.1 विद्यालय, स्थानीय स्तर पर अपने नजदीकी आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र का चयन करेगा।

5.2 विद्यालय के समीपस्थ स्थित आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र की सूचना www.rkcl.in साइट पर उपलब्ध है। अनुपलब्धता की स्थिति में विद्यालय प्रशासन नजदीकी आर.के.सी.एल. कार्यालय या एडीपीसी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकता है। आर.के.सी.एल. द्वारा जिले में स्थित समस्त सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों की अद्यतन सूची मय पता एडीपीसी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

5.3 आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र की प्रमाणिता हेतु निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है :–

(i) आर.के.सी.एल. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र (आई.टी. जी.के) को जारी किया गया अधिकार पत्र।

(ii) आर.के.सी.एल. के सेवाप्रदाता तथा अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र के मध्य का अनुबंध पत्र जिसमें मान्यता अवधि की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो।

(iii) प्रति एक आई.टी. ज्ञान केन्द्र केवल एक ही विद्यालय हेतु प्रशिक्षण का कार्य करेगा।

5.4 नजदीक स्थित आई.टी. ज्ञान केन्द्र के चयन के पश्चात् विद्यालय के द्वारा आर.के.सी.एल. राज्य मुख्यालय को सूचित किया जायेगा व आर.के.सी.एल. राज्य मुख्यालय द्वारा संबंधित संस्थाप्रधान के

8/3/17

नाम पत्र जारी कर चयनित आई.टी. ज्ञान केन्द्र के चयन की स्वीकृति जारी की जायेगी। इस प्रक्रिया के पश्चात् ही विद्यालय व आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा आगामी प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

6.0 <u>पर्यवेक्षण एवं संबलन (Supervision & Support)</u> :–

6.1 विद्यालय का समय निर्धारित शिविरा पंचांग अनुसार ही रहेगा व प्रस्तावित योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु समय सारणी का निर्धारण विद्यालय स्तर पर कालांशों का समायोजन कर किया जायेगा।

6.2 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक इस योजना हेतु संबलन कर्ता का कार्य करेंगे।

6.3 विद्यालय संस्था प्रधान स्वयं व उनके द्वारा मनोनीत शिक्षक योजना क्रियान्विति की अद्यतन स्थिति की विद्यालय स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग करेगें।

6.4 योजना की क्रियान्विति स्थिति, गुणवत्ता इत्यादि की सुनिश्चितता हेतु क्षेत्रीय व जिला स्तरीय विभागीय व रमसा अधिकारियों द्वारा समय समय पर पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग की जायेगी।

6.5 विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में इस योजना की प्रगति, विद्यार्थी पंजीकरण स्थिति, अनुदेशक की दक्षता, वित्तीय स्थिति आदि बिंदुओं की समीक्षा की जा कर प्रभावी सुधार और संबलन के प्रयास किए जायेंगे।

7.0 <u>रिकार्ड संधारण (Record Keeping)</u> :–

7.1 विद्यालय में योजना के रिकार्ड का संधारण पृथक से किया जाएगा तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका कम्प्यूटर लैब में संधारित की जायेगी।

7.2 विद्यालय में आर.के.सी.एल. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र अनुदेशक की विजिट के रिकार्ड का संधारण विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति सचिव द्वारा रखा जायेगा।

7.3 योजना से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय प्रबंधन हेतु विद्यालय द्वारा पृथक बैंक खाते का संधारण किया जायेगा तथा यह बैंक खाता पूर्णतः इसी योजना को समर्पित होगा। बैंक खाते का

8/2/17

संचालन व खाते से आहरण विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

7.4 विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एवं आर.के.सी.एल. के आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा संयुक्त रुप से जारी समझ पत्र ही योजना की क्रियान्विति का मूल आधारभूत दस्तावेज होगा। सुलभ संदर्भ हेतु विद्यालय के रिकार्ड में समझ पत्र को सुरक्षित संधारित किया जायेगा।

8.0 "क्लिक"(Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण :

8.1 क्लिक योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार व्यवस्था की जावेंगी :–

i. राज्य स्तर पर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

ii. जिला स्तर पर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति (आदेश की प्रति परिशिष्ट'ड' पर संलग्न हैं)

iii. विद्यालय स्तर पर – विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) / विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC)

9.0 विविध (Miscllenеous) :–

9.1 विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा संयुक्त बैठक हर मास समाप्ति पर की जावेगी। बैठक में योजना के सफल निष्पादन हेतु मैत्रीपूर्ण ढंग से विचार विमर्श कर समन्वयकारी निर्णय लिए जायेंगे।

9.2 आदर्श विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय व जिला स्तरीय बैठकों में भी इस योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाएगी व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

9.3 आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र व विद्यालय प्रशासन के मध्य मत–भिन्नता व विवाद की स्थिति में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा हस्तक्षेप कर मैत्रीपूर्ण ढंग से मामला सुलझाया जायेगा।

9.4 विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा अनिणर्य की स्थिति में अनुशंसा सहित बकाया विवादास्पद मामला निर्णय हेतु जिला

8/2/17

निष्पादन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला निष्पादन समिति की प्रत्येक बैठक में आर.के.सी.एल. का प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित होगा व इस योजना की प्रगति समीक्षा की जायेगी।

9.5 जिला स्तर पर अनिर्णित मामले अग्रेषण टिप्पणी सहित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भिजवाए जायेंगे। राज्य स्तर पर इस आशय हेतु गठित विशेष समिति द्वारा इन मामलों का अंतिम निस्तारण किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति में आर.के.सी.एल. के दो प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

9.6 सभी प्रकार के कर यदि लागू हो तो आर.के.सी.एल. के आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा वहन किये जायेंगे।

8/2/17

(महेश गेरयानी)
शासन उप सचिव–I